

अमेरिका में भाषा की सुवधा (Language Access) को क्या दशा देती है?

- सविलि राइट्स एक्ट (Civil Rights Act) का टाइटल VI, 1964,
- 1990 का अमेरिकंस वदि डिसिबिलिटी ऐक्ट (Americans with Disabilities Act (ADA), 1990))
- अफोर्डेबल केयर ऐक्ट और सेक्शन 1557 (Affordable Care Act, ACA, 2010); 45 CFR 92.101

अमेरिका में भाषा की सुवधा (Language Access) को क्या आगे बढ़ाता है?

- **अमेरिका में 830** से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं
- **अमेरिका में 6.7** करोड़ से अधिक लोग अपने घर पर अंग्रेज़ी के अलावा कोई और भाषा बोलते हैं।
- **इनमें से 2.6** करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें अंग्रेज़ी अच्छी तरह समझने या बोलने में कठिनाई होती है
- **अमेरिका में 10** लाख से ज़्यादा लोग बधरि हैं, इसके अलावा 90 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिनमें सुनने में दकिकत होती है

अमेरिका में भाषा सुवधा और प्रभावी संचार के कानून कनि पर लागू होते हैं?

अगर कोई संस्था सरकारी है या ADA के दायरे में आती है, तो उसे बधरि, सुनने में कठिनाई वाले और अंग्रेज़ी सीमति रूप से जानने वाले (Limited English Proficient, LEP) व्यक्तियों के लिए मुफ्त भाषा सुवधा और प्रभावी संचार की व्यवस्था करनी होती है।

अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ कौनसी हैं?

स्पैनिश, अरबी, चीनी, बांग्ला, वयितनामी, कोरयिन, हमोंग, यूक्रेनी, दारी, फ़ारसी, पश्तो और पोलिश।

कानूनी अधिकार

जो लोग बधरि या सुनने में कठिनाई वाले हैं या जिनमें अंग्रेज़ी समझने या बोलने में परेशानी होती है, उन्हें अपनी समझ की भाषा में संवाद करने का अधिकार है। यह अधिकार इन कानूनों के तहत दिया गया है। 1964 का सविलि राइट्स एक्ट (टाइटल VI), पेशेंट प्रोटेक्शन ऐड अफोर्डेबल केयर ऐक्ट (सेक्शन 1557), अमेरिकंस वदि डिसिबिलिटी ऐक्ट, और अन्य संबंधित राज्य व संघीय कानूनों के तहत।

कानूनी ज़म्मेदारी

जो भी संस्था या संगठन अपने कसी भी कार्यक्रम के लिए सरकारी फंडिंग प्राप्त करता है, उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि अंग्रेज़ी कम जानने वाले (Limited English Proficient, LEP), बधरि और सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को उनकी समझ की भाषा में, मुफ्त में, अनुवाद और दुभाषिया सेवाओं के ज़रिए सही भाषा सुवधा और प्रभावी संचार मिला। यह कानूनी रूप से आवश्यक है, और आपकी ज़म्मेदारी बनती है कि आप यह सुवधा उपलब्ध कराएँ। यह सुवधा 1964 के सविलि राइट्स एक्ट (टाइटल VI), पेशेंट प्रोटेक्शन ऐड अफोर्डेबल केयर ऐक्ट (सेक्शन 1557), अमेरिकंस वदि डिसिबिलिटी ऐक्ट, और अन्य संबंधित राज्य व संघीय कानूनों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

इस कानूनी ज़म्मेदारी को कैसे पूरा करें

जनि संस्थाओं ने सरकारी फंडिंग प्राप्त करती हैं, उनके लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि जब अंग्रेज़ी कम जानने वाले (Limited English Proficient, LEP), बधरि, या सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को कसी सेवा की मांग करें, तो उनके लिए योग्य दुभाषिया उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपनी समझ की भाषा में, बिना कसी खर्च के, सही तरह से संवाद कर सकें। इन भाषा सुवधा कानूनों के तहत आपकी ज़म्मेदारी में यह भी शामिल है कि लिखित जानकारी और संवाद को भी उन भाषाओं में अनुवादित किया जाए, जिनमें ये समुदाय समझते हैं — जैसे कि: माता-पिता को भेजे जाने वाले पत्र, सूचनाएँ, वेबसाइट का कंटेंट वगैरह। इन अनुवादों को पहले से और सक्रिय रूप से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को समान रूप से जानकारी और सुवधा मिल सके।

सेवाएं प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि दुभाषिए की मदद से संवाद हो। चाहे वह सामने मौजूद हो या वीडियो, फोन या कसी अन्य तकनीक के ज़रिए दूरस्थ रूप से जुड़ा हो।

भाषा सुवधा से जुड़े अधिकारों और कानूनी नयिमों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए यहाँ जाएँ:

